अब 11 साल पुरानी टेक्सटाइल इकाइयों को भी मिलेगा अनुदान

अमर उजाला ब्यूरो

यूपी हैंडलूम, पॉवरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल व गारमेंटिंग पॉलिसी 2017 का मिलेगा लाभ

लखनऊ। प्रदेश में वर्ष 2014 में हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर में इकाई लगाने वाले उद्यमियों को अनुदान देने का फैसला सरकार ने किया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी दी। एमएसएमई, हथकरघा और टेक्सटाइल मंत्री राकेश सचान ने कहा कि 11 वर्ष पुरानी इकाइयों को भी अनुदान देने का फैसला काफी अहम है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन उस समय भी उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को वर्ष 2017 की हैंडलूम पॉवर सिल्क टेक्सटाइल गारमेंट पॉलिसी में शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा, ये मुश्किल फैसला था, लेकिन इससे निवेशकों के बीच अच्छा संदेश देने के साथ पीएम मित्र पार्क का माहौल बनेगा। इस फैसले का लाभ कम से कम 100 इकाइयों को मिलेगा, जिन्हें अनुदान के रूप में करीब 125 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान में 26 इकाइयों के आवेदन के तहत 60 करोड़ के अनुदान का रास्ता साफ हो गया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में जिन उद्यमियों ने वस्त्रोद्योग में निवेश किया था, उसमें काफी लोग अनुदान से छूट गए थे। वर्ष 2017 में प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उप्र. हैंडलूम, पॉवरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल व गारमेंटिंग पॉलिसी-2017 लाई।

यह पॉलिसी 25 जनवरी 2018 से लागू है। गोरखपुर की जान्ह्वी स्पिनर्स ने इस पॉलिसी के तहत अनुदान के लिए आवेदन किया था। पिछले वर्ष एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया था कि वर्ष 2017 से पहले के ऐसे सभी मामलों को अनुदान देने के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

26 इकाइयों ने अनुदान के लिए किया आवेदन

वर्ष 2020 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के समय में आदेश हुए थे कि वर्ष 2017 से पूर्व की इकाइयों को नई नीति में नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में हुई समीक्षा में पाया गया कि सभी इकाइयां पात्र हैं। ये इकाइयां न सिर्फ प्रदेश में कारोबार का विस्तार कर रही हैं, बल्कि देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र पार्क में भी निवेश कर रही हैं। अभी वर्ष 2014 की 26 इकाइयों ने 60 करोड़ के अनुदान के लिए आवेदन किया था। अब वर्ष 2014 में भी टेक्सटाइल इकाई लगाने वाले उद्यमी को वर्ष 2017 की नीति का लाभ मिलेगा।

90 दिन की कार्ययोजना का रोडमैप तैयार

एमएसएमई विभाग के लिए 90 दिनों की कार्ययोजना का रोडमैप बनाया गया है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1.50 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। आगामी 90 दिनों में कम से कम 50,000 स्वीकृतियां और 40,000 ऋण बांटा जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के 46,761 लंबित आवेदनों पर स्वीकृति और 13,704 लंबित मामलों में ऋण वितरण की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जाएगी।